

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या : 590/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
पीएनबी हाऊसिंग फाइनेन्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: 9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, कस्तूरबा गाँधी  
मार्ग, न्यू दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

- श्री रजनीश भाटिया पुत्र श्री जोगेन्द्र लाल भाटिया,  
पता :- सतजोग, नन्दनी रेजीडेन्सी-1, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 65, सरती नगर, जनपथ, जयपुर।  
एवं 304, डी-82, हेप्पी होम इस्टेट, पूनम सागर कम्प्ले मीरा रोड़, मुम्बई महाराष्ट्र।  
एवं पीफजर सेन्टर, पटेल इस्टेट, ऑफिस एस. वी. रोड़, जोगेश्वरी (डब्ल्यू) मुम्बई, महाराष्ट्र।  
एवं प्लॉट नं. 65, द्वितीय तल, नन्दनी रेजीडेन्सी, सरती नगर, न्यू सांगाणेर रोड़, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :- श्री विनोद खाण्डल, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक: 18.10.2022

- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री रजनीश भाटिया के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 65, द्वितीय तल पर स्थित यूनिट, नन्दनी रेजीडेन्सी-1, सरती नगर, न्यू सांगाणेर रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 1050 वर्गफीट को बन्धक रख कर दिनांक 30.06.2011 को राशि 20,00,000/- रुपये, दिनांक 16.02.2015 को राशि 05,05,000/- रुपये एवं दिनांक 24.02.2017 को राशि 09,93,366/- रुपये कुल राशि 34,98,366/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.11.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
- प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 34,98,366/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 21,95,164.24/- रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 17.11.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा-14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री रजनीश भाटिया के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 65, द्वितीय तल पर स्थित यूनिट, नन्दनी रेजीडेन्सी-1, सरती नगर, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 1050 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल



दिनांक 18.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

25  
(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर